वि.स. आरां. प्र.क्र.-790 परिशिष्ट-"अ" [18/12/2024]

प्रश्न सं. (क्र. 790)

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ- 1-3 /2015/सात/शा.6 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः उप तहसील कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

समय-समय पर जन प्रतिनिधियों के माध्यम से अलग-अलग जिलो में तहसीलों के भीतर उप तहसील (टप्पा) कार्यालय खोले जाने के संबंध में मांग आती रहती है और विधान सभा में याचिकाओं के माध्यम से या अन्य रूप से भी ऐसी ही मांग आती रहती है।

2/ उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 13 में तहसील के सृजन अथवा पुनगर्ठन की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है, किन्तु उप तहसील खोले जाने का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है। उप तहसील कार्यालय सामान्यतः जनता की सुविधा और राजस्व प्रशासन को सजग बनाए रखने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकारियों की पहुच सुनिश्चित् करने के लिए खोले जाते हैं।

3/ उप तहसील कार्यालय के लिए पृथक से कोई भवन, स्टाफ या अन्य संसाधन के लिए बजट प्रावधान नहीं होता है। क्षेत्रीय आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर स्वयं उपलब्ध स्टाफ का उपयोग कर उप तहसील (टप्पा) कार्यालय खोले जाने का निर्णय लेने हेतु सक्षम है। समय-समय पर अनेक जिलो को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं।

4/ अतएव् इस परिपत्र के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाता है कि जन साधारण की मांग एवं राजस्व प्रशासन की सुदृढ़ता सुनिश्चित् करने के लिए उपलब्ध स्टाफ एवं संसाधन का उपयोग कर आप अपने जिले में तहसीलों के भीतर उप तहसील (टप्पा) कार्यालय खोले जाने का निर्णय लें। यदि नियमित टप्पा कार्यालय स्थापित करने के लिए स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध न हो तो सप्ताह में 2 या 3 दिन के लिए भी टप्पा कार्यालय संचालित करने का निर्णय लिया जा सकता है। कलेक्टर द्वारा लिए गये निर्णयों से राज्य शासन को भी अवगत कराएं।

(अरूण तिवारी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2015

क्रमांक एफ -1-3 /2015/सात/शा.6

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग शाखा-7

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 790

परिशिष्ट-ब

रजिस्टर्ड

# कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला दतिया (म.प्र.)

E-Mail slrdatia1@gmail.com

क्रमांक / 81 / भू–अभि / बर्क / भू–प्रबंधन / 2022 दतिया दिनांक 17/2/22

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग भोपाल

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग - 7 पंजी क्र. 183 दिनांक 11/03/2022

विषय :– तहसील भाण्डेर के ग्राम सालोन–बी में उप तहसील खोले जाने के संबंध में।

संदर्भ :– म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल का पत्र कमांक / 202 / 646 / 2017 / सात–7 भोपाल दिनांक 18.03.2021।

---

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि शासन से संबंधित पत्र के पालन में कार्यालयीन पत्र कमांक 1128 / भू–प्रबंधन / 2021 दतिया दिनांक 17.12.2021 के द्वारा तहसील भाण्डेर जिला दतिया अन्तर्गत सालोन–बी को उप तहसील बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। म.प्र.शासन के पत्र कमांक 28 / 646 / 2017 / सात /शा.7 भोपाल दिनांक 13.01.2022 द्वारा उप तहसील खोले जाने के संबंध में शासन निर्देश संलग्न प्राप्त हुये। जिसके अनुसार म.प्र.शासन राजस्व विभाग परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

उपरोक्त प्रपत्र में उल्लेख किया गया है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 13 में तहसील के सृजन एवं पुनगर्ठन राज्य सरकार को प्राप्त हैं, किन्तु उप तहसील खोले जाने का कोई प्रावधान संहिता में नहीं हैं। परिपत्र में यह भी निर्देश दिया गया हैं कि जनसाधारण की मांग एवं राजस्व प्रशासन की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध स्टाफ एवं संसाधन का उपयोग करते हुये तहसील के अन्दर उप तहसील (टप्पा) खोले जाने का निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर को हैं। दतिया जिले में उपलब्ध स्टाफ एवं संसाधनो को दृष्टिगत रखते हुए नियमित उप तहसील (टप्पा) कार्यालय खोला जाना संभव नहीं हैं।

अतः माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र भाण्डेर एवं जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर द्वारा सप्ताह में एक दिन ग्राम सालोन–बी तहसील भाण्डेर में राजस्व संबंधी प्रकरणो की सुनवाई एवं समस्याओ का निराकरण हेतु केम्प कोर्ट आरंभ करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

अतः सूचनार्थ सादर प्रेषित हैं।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

(रूपेश उपाध्याय)
अपर कलेक्टर
जिला दतिया म.प्र.

पृ.क्रमांक / 81 / भू–अभि / बर्क / भू–प्रबंधन / 2022 दतिया दिनांक 17/2/22

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग भाण्डेर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निज सचिव विधायक विधानसभा क्षेत्र भाण्डेर की ओर सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
जिला दतिया म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग शाखा-7

E:\SLR datia 2022\Workload RI\Letter.doc

R-No. 5691/11/2022/7-1 28/2/22

N-1545 3/3/22